कार्यालय

फार्मेसी प्रशिक्षण परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या : फार्मेसीपरिषद् सम्बद्धता/2022/[illegible] लखनऊ: दिनांक: [illegible]

(कार्यालय ज्ञाप)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमतियां प्रदान किए जाने के उपरान्त फार्मेसी शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनिवार्य नई संस्थाओं को सम्बद्धता तथा पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को फार्मेसी शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4171-SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीईद्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीईद्वारा/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश फार्मेसी शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा फार्मेसी शिक्षा परिषद नियमावली 1962, नियमावली-2000, नियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22,000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश पाठ्यक्रम के प्रारम्भ किया जायेगा, उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारित समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की पात्रतिथि तक लागू होगी।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विभिन्नविभिन्नशासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, माध्यमिक प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर निर्गत विभिन्न, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

(हस्ताक्षर सहित)

मोहर

पत्रांक- [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि,

[illegible] SUN PHARMACY COLLEGE, JAGNPUR

(हस्ताक्षर सहित)

मोहर